कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रामपुर।

पत्रांक: 3988/बी०पी०एल०/विज्ञप्ति/2007–08 दिनांक मार्च 28,2008

निविदा आमंत्रण पत्र

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,रामपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में पुनःसर्वेक्षण के कम्प्यूट्रीकरण के लिये [redacted] विकास [redacted] प्राईवेट फर्मो द्वारा बी०पी०एल० [redacted] एन्ट्री कराई जानी है। बी०पी०एल० परिवारों की [redacted] होगी। निविदा दिनांक 4–04–08 को दोपहर 12:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जायेगी, जो कि दिनांक –04–2008 सायं 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।

नियम व शर्ते निम्नानुसार होंगी

1– टेण्डर फार्म के साथ अंकन 20000.00 रू० की जमानत/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,रामपुर के पक्ष में देय होगा, जमा करना होगा।

2– निविदा के साथ व्यापार कर पंजीकरण तथा आयकर पैनकार्ड की छाया प्रति लगानी अनिवार्य है।

3– निविदा फार्म किसी भी कार्यालय दिवस में अंकन 200.00 रू० की धनराशि जमा कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रामपुर से प्राप्त किया जा सकता है।

4– सॉफ्टवेयर को किसी भी कार्यालय दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कचहरी स्थित एन०आई०सी० कार्यालय, रामपुर में उपस्थित होकर देखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर में चेक लिस्ट "क्रास चेकिंग" निकालने की सुविधा नहीं है। जिसको फर्म द्वारा स्वयं विकसित करना होगा। जिसके लिये एन०आई०सी०, रामपुर की मदद ली जा सकती है।

5– जनपद में 6 विकास खण्ड हैं जिसके लिये अलग–अलग कम्प्यूटर की आवश्यकता होगी तथा एक [redacted] समय–समय पर कार्य का निरीक्षण किया जा सके। डाटा एन्ट्री का कार्य 30 दिन में पूर्ण करना होगा इस के लिये यदि कम्प्यूटरों की संख्या बढ़ानी होगी तो यह दायित्व भी फर्म का होगा।

6– डाटा एन्ट्री में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे फर्म को ही ठीक करना होगा, जिसका फर्म को अन्य कोई भुगतान देय नहीं होगा।

7– भारत सरकार की वेब साईड पर डाटा अपलोडिंग का कार्य फर्म द्वारा ही किया जायेगा व डाटा की पी०डी०एफ० फाईल भी कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।

8– कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री को सुरक्षित रखा होगा ताकि शासन के निर्देश पर अग्रीम कार्यवाही की जा सके तथा डाटा एन्ट्री की सी०डी० भी कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।

9– डाटा एन्ट्री का कार्य हिन्दी में होगा। शासन के निर्देश पर यदि अंग्रेजी में चाहा गया तो फर्म को डाटा अंग्रेजी में उपलब्ध कराना होगा। जिसके लिये पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

10– डाटा एन्ट्री उपरान्त चेक लिस्ट समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे वह प्रविष्टीयों को चेक कर सकें।

11– अन्य नियम व शर्ते टेन्डर फार्म पर अंकित है।

12–निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
रामपुर।